रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2019/आषाढ़ 31, 1941
No. 256] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2019/ASHADHA 31, 1941

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

सं. 12/13/1/2019-यो.व.वि.—जबकि प्रयोक्ता प्रभार की दर तथा योजना का अन्य विवरण अधिसूचित करने के कतिपय मसौदा अधिसूचना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत का राजपत्र के भाग III, खंड 4 में दिनांक 15.04.2019 जिनमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां 27.05.2019 से सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और प्रभावित होने वाले सम्भावित व्यक्तियों से कोई भी आपत्तियां तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अत: अब भारत का असाधारण राजपत्र [भाग II, खण्ड 3(i)], दिनांक 4 अगस्त, 2010 में सा.का.नि. 654(अ) द्वारा यथाअधिसूचित "अन्य लाभार्थी तथा उनके परिवार के सदस्य चिकित्सा सेवाएं योजना 2010" के उप-पैरा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73घ में संदर्भित प्रयोक्ता प्रभार की दर तथा योजना का अन्य विवरण अधिसूचित करते हैं, केन्द्रीय सरकार ने गैर-बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा अल्प उपयोग क.रा.बी.नि. अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता को क.रा. बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 73-ख के अंतर्गत निर्मित "अन्य लाभार्थी तथा उनके परिवार के सदस्य चिकित्सा सेवाएं योजना 2010" में अन्य लाभार्थी के रूप में अनुमोदन प्रदान किया है :—

1. बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) परामर्श रु. 10/- (दस रुपये मात्र) प्रति परामर्श की दर से ।
2. आंतरिक रोगी विभाग (आइपीडी) शहर के लिए लागू केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) पैकेज दर के 25% (पच्चीस प्रतिशत) (यदि उपलब्ध नहीं तो, निकटतम शहर तथा राज्य की दर) पर लागू।
3. औषधि वास्तविक दर पर प्रदान (यदि उपलब्ध है) की जाएगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यून उपयोगी अस्पताल, क.रा.बी. निगम अस्पताल, होगा जहां पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान बिस्तर अधिभोग 60% से कम है।

5. अल्प उपयोग अस्पतालों के तथा उनकी नाम/कार्यात्मक कार्यरीति जैसा कि महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी।

एस. रविचंद्रन**,** अपर आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./142/19]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2019

No. 12/13/1/2019-P&D.—Whereas draft notification further to notify the rate of user charges and other details of the scheme was published as required under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) in the Gazette of India Part III, Section 4 dated 15.04.2019 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of period of thirty days on which the notification was published, are made available to the public:—

And whereas, the said Gazette Notification was made available to the Public on 27.05.2019

No objections and suggestions were received from any of the person likely to be affected;

Now therefore in exercise of the powers conferred under Sub-para 6 of the "Other beneficiaries and members of their families medical facilities scheme 2010" as notified *vide* G.S.R. 654(E) in the Gazette of India Extraordinary [Part II Section 3(i)] dated 04th August 2010, the Director General, Employees' State Insurance Corporation hereby notifies the rate of user charges and other details of the scheme referred to in Section 73D of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) as the Central Government has approved the availment of medical services in the under-utilised ESIC Hospital by Non-Insured Persons as other beneficiaries in the "Other Beneficiaries and Members of Their Families Medical Facilities Scheme 2010" framed under Section 73-B of the ESI Act, 1948 :—

1. Out-Patient Department (OPD) Consultation at the rate of Rs 10/- (Rupees Ten Only) per consultation.
2. In-Patient Department (IPD) care at the rate of 25% (Twenty Five per cent) rates of Central Government Health Scheme (CGHS) packaged rates applicable for the city (If not available the rate of the neighbouring city or the State).
3. Medicines shall be provided (if available) at the actual cost.
4. An underutilised Hospital for the purpose of this notification shall be the ESIC Hospital where the bed occupancy is less than 60 % during the last two financial years.
5. The name of underutilised hospitals and their operational modalities shall be as specified by Director General from time to time.

S. RAVICHANDRAN, Addl. Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./142/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.24 21:56:13 +05'30'